(ALL BATCHES)

DATE: 18.08.2018 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER 6 : AUDITING

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.

Question No. 1 is compulsory.

Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.

In case, any candidate answers extra question(s)/sub-question(s) over and above the required number, then only the requisite number of questions first answered in the answer book shall be valued and subsequent extra question(s) answered shall be ignored.

Wherever necessary, suitable assumptions may be made and disclosed by way of note.

Answer 1:

(a) **गलत:** SA 705 "स्वतंत्र अकेंक्षक की रिपोर्ट में राय का संशोधन के अनुसार, अकेंक्षक एक प्रतिकूल राय को प्रकट करेगा जब अकेंक्षक पर्याप्त उपयुक्त अकेंक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात् निष्कर्ष निकालता है कि मिथ्या विवरण, व्यक्तिगत अथवा योग में वित्तीय विवरण की दोनों सारवान तथा व्यापक है। यद्यपि अकेंक्षक मर्यादित राय प्रकट करेगा जब वह निष्कर्ष निकालता है कि मिथ्या विवरण व्यक्तिगत अथवा योग में सारवान है परन्तु व्यापक नहीं है।

(b) **सही:** SA 299 "संयुक्त अकेंक्षकों का उत्तरदायित्व", के अनुसार यदि संयुक्त अकेंक्षक रिपोर्ट में कवर किये जाने वाले मामले के संबंध में संयुक्त अकेंक्षकों का बहुमत के मत से बाध्य नहीं है तथा असहमति के मामले में एक पृथक रिपोर्ट में अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए।

(c) **गलत:** कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) जिसे कम्पनी (अकेंक्षण तथा अकेंक्षक) नियम 2014 के साथ पढा जाये, के अनुसार यदि धोखाधड़ी का अपराध जिसमें 1 करोड़ अथवा उपर की राशि लिप्त है, का अपराध को कम्पनी में उसके अधिकारी अथवा कर्मचारियों द्वारा किया है। अकेंक्षक धोखाधड़ी के अपने संज्ञान में आने के तुरंत अथवा दो दिवस के अंदर बोर्ड अथवा अकेंक्षण समिति को मामला को रिपोर्ट कर उनसे 45 दिवस के अंदर उनका उत्तर अथवा अवलोकन की मांग करेगा तथा इस प्रकार का उत्तर अथवा अवलोकन की प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अंदर केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा। यद्यपि, एक धोखाधड़ी के मामले में जिसमें रूपये 1 करोड़ से कम की राशि लिप्त है, अकेंक्षक बोर्ड अथवा अकेंक्षण समिति को मामला को रिपोर्ट करेगा।

(d) **सही:** एक अंकेक्षण एक इकाई चाहे लाभ उन्मुक्त है अथवा नहीं, तथा इसके आकार अथवा कानूनी स्वरूप पर विचार किये बिना का स्वतंत्र परीक्षण है जब इस प्रकार के परीक्षण को उस पर राय व्यक्त करने के मत से परिचालित किया जाता है। यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण का मूल उद्देश्य अर्थात् वित्तीय विवरण पर राय का प्रकट करना एक इकाई की प्रकृति, आकार अथवा स्वरूप के साथ बदलता नहीं है।

(e) **गलत:** लागत अंकेक्षक के पद में कोई आकस्मिक रिक्त चाहे त्याग पत्र, मृत्यु अथवा हटाने के कारण है को इस प्रकार की रिक्त का उत्पन्न होने का 30 दिवस के अंदर निदेशक मंडल द्वारा भरना होगा तथा कम्पनी लागत अंकेक्षक नियुक्ति का 30 दिवस के अंदर फॉर्म CRA-2 में केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा।

(f) **गलत:** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 181 प्रदान करता है कि एक कम्पनी का निदेशक मंडल सामान्य सभा में कम्पनी की पूर्व अनुमति के साथ इस प्रकार के अंशदान के लिए वास्तविक धर्मार्थ तथा अन्य फंड में अंशदान करता है जहां पर किसी वित्तीय वर्ष में जिसकी समग्र राशि एकदम पहले वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 5% से अधिक है।

(1 Mark each for Correct/Incorrect and 1 Mark for reason)

(g) **गलतः** वाउचिंग एक मौलिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लेखांकन रिकॉर्ड में समाहित एक सौदे की वैद्यता तथा वास्तविकता का सत्यापन करना है। इससे सौदे की वास्तविकता के समर्थन में प्रपत्रीकरण का परीक्षण लिप्त है। इसलिए, वाउचिंग का उद्देश्य ना केवल यह ज्ञात करना है कि धन का भुगतान किया है परन्तु अंकेक्षक लेखा की पुस्तकों में रिकॉर्ड सौदों के संबंध में अभिकथन के संबंध में उचित आश्वासन को प्राप्त करने का उद्देश्य रखता है।

(h) **गलतः** एक लिप्तता पत्र को किसी बाद के परिवर्तन को अनुपरक रूप हो अपडेट करने के लिए कम्पनी से प्राप्त नियुक्ति पत्र तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत अंकेक्षक द्वारा जारी पात्रता पत्र द्वारा कवर अवधि का प्रत्येक वर्ष के लिए लिप्तता पत्र को प्रविष्ट करने की आवश्यकता है इसकी उक्त अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत प्रत्येक वार्षिक आम सभा में नियुक्ति की पुष्टि की आवश्यकता है।

(i) **गलतः** खोज जोखिम तथा अन्तर्निहित तथा नियंत्रण जोखिम के संयुक्त स्तर के मध्य उल्टा संबंध है। जब अन्तर्निहित तथा नियंत्रण जोखिम उच्च है, स्वीकार्य जोखिम खोज जोखिम को एक स्वीकार्य न्यून स्तर पर अंकेक्षण जोखिम को कम करने की आवश्यकता है। जब अन्तर्निहित तथा नियंत्रण जोखिम कम है, एक अंकेक्षक उच्च खोज जोखिम को स्वीकार्य कर सकता है तथा फिर भी अंकेक्षण जोखिम को एक स्वीकार्य न्यून स्तर तक घटा सकता है।

(j) **गलतः** लिखित प्रतिवेदन का एक उद्देश्य, लिखित प्रतिवेदन के जरिये वित्तीय विवरण में विशिष्ट अभिकथन अथवा वित्तीय विवरण में प्रासंगिक अन्य अंकेक्षण साक्ष्य को समर्थित करना है। अतएव यह स्पष्ट है कि लिखित प्रतिवेदन अन्य साक्ष्य के लिए स्थानापन्न नहीं हो सकता जिसे अंकेक्षक उपयुक्त रूप से प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है।

Answer 2:

(a) संभावित मिथ्या विवरण जो अंकेक्षण के अन्तर्गत अवधि के लिए घटनाओं तथा सौदों की श्रेणी के संबंध में उत्पन्न हो सकती है पर विचार करने के लिए अंकेक्षक द्वारा प्रयुक्त अभिकथन है:

(i) उत्पन्नता – सौदे तथा घटना जिन्हें रिकॉर्ड किया जाना है तथा इकाई से संबंधित है।
(ii) पूर्णता – सभी सौदे तथा घटना जिसे घटना को रिकॉर्ड किया जाना है को रिकॉर्ड किया गया है।
(iii) शुद्धता – रिकॉर्डिंग सौदों से संबंधित राशि तथा अन्य डाटा को उपयुक्त रूप से रिकॉर्ड किया है।
(iv) कट ऑफ – सौदे तथा घटना को सही लेखांकन अवधि में रिकॉर्ड किया गया है।
(v) वर्गीकरण – सौदे तथा घटना को उपयुक्त खाता में रिकॉर्ड किया।

(1 Mark for each point)

(b) {कम्पनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 का नियम 10 की धारा 141 की उप–धारा(3) **(¼M)** (CAAR में इसके पश्चात् संदर्भित) के अन्तर्गत, निम्न व्यक्ति एक कम्पनी के अंकेक्षक की नियुक्ति के रूप में पात्र नहीं है।

कोई व्यक्ति जिसकी सहायक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इकाई की अन्य कोई परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा में लिप्त है जैसा धारा 144 में प्रदान किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 एक नया प्रावधान है जो निर्धारित करता है कि कुछ सेवाओं को अंकेक्षक द्वारा प्रदान नहीं किया जाता।} {इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त एक अंकेक्षक कम्पनी को केवल इस प्रकार की अन्य सेवा प्रदान करेगा। जैसा निदेशक मंडल अथवा अंकेक्षण समिति जैसा मामला है के द्वारा अनुमोदित किया है परन्तु निम्न में से कोई भी सेवा सम्मिलित नहीं होगी}**(¼M)** {(चाहे इस प्रकार की सेवा को कम्पनी अथवा इसकी धारक कम्पनी अथवा सहायक कम्पनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया है)}**(¼M)** जैसे:

(i) लेखांकन तथा बुक कीपिंग सेवायें;
(ii) आंतरिक अंकेक्षण;
(iii) किसी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन तथा कार्यान्वयन;
(iv) बीमांकक सेवा;
(v) निवेश सलाहकार सेवा;
(vi) निवेश बैंकिंग सेवा;
(vii) बाहरी स्रोत वित्तीय सेवा को प्रदान करना;
(viii) प्रबन्धकीय सेवा; तथा

(½ Mark for each point)

(ix) कोई अन्य सेवा जैसा निर्धारित है। **(¼M)**

(c) एक अस्पताल के रोगियों से प्राप्ति का अंकेक्षण–विचार किये जाने वाले चरण निम्नलिखित है :

(i) रोगियों से बिल की प्राप्ति के संबंध में आंतरिक जांच प्रणाली का परीक्षण करें।
(ii) उनको जारी बिलों की कापी के साथ रोगियों के रजिस्टर का प्रमाणन करें।
(iii) चयनित अवधि के लिए बिलों का रोगियों के रिकॉर्ड के साथ सत्यापन करें ताकि देखा जा सके कि बिलों को सही ढंग से तैयार किया है।
(iv) देखें कि बिलों को अस्पताल के नियमों के अनुसार रोगियों को जारी किया गया है।
(v) नकद पुस्तिका में प्रविष्ट राशि की रसीद, प्रतिपर्णी तथा अन्य साक्ष्य के साथ जांच करें।
(vi) कुल आय की उसके लिए बजटेड राशि के साथ तुलना करें तथा महत्वपूर्ण विचलन जो हुऐ है के लिए प्रबन्धन को रिपोर्ट करें।

(1 Mark for each point) (Max. 5M)

(d) <u>बिक्री पर सकल लाभ की दर में कमी:</u> जब एक निर्माणी कम्पनी की बिक्री पर सकल लाभ की दर में गत वर्ष की तुलना में तेजी से गिरावट आयी है, अकेंक्षक को उसके कारणों को संतुष्ट करना चाहिए। निम्न फेक्टर पर विचार करनी चाहिए जिससे निर्माणी कम्पनी की सकल लाभ में कमी आयी है-

(i) अंतिम इवेंटरी का कम मूल्यांकन अथवा आरंभिक इवेंटरी का अति मूल्यन या तो इवेंटरी का गलत मूल्यांकन के कारण अथवा इवेंटरी को लेने में गलती
(ii) इवेंटरी मूल्यांकन का आधार में बदलाव/उदाहरण के लिए आरंभिक इवेंटरी का मूल्यांकन लागत से उपर बाजार कीमत पर किया जबकि अंतिम इंवेंटरी का मूल्यांकन लागत पर किया जो बाजार कीमत से नीचे है।
(iii) चालू वर्ष में, गत वर्ष में क्रय वस्तु की राशि को सम्मिलित करना जिसे उसी वर्ष में प्राप्त तथा लिया गया।
(iv) लाभ को बढाने के लिए गत वर्ष में रिकॉर्डिंग कृत्रिम बिक्री प्रविष्टी को उलटना
(v) बिक्री वापिसी प्रविष्टी को दोबारा पास किया अथवा क्रय वापिसी के लिए प्रविष्टी को पास नहीं किया जब वस्तुओं को आपूर्तिकर्ता को वापिस किया।
(vi) मजदूरी अथवा प्रत्यक्ष व्यय के लिए अत्याधिक प्रावधान किया।
(vii) अनुमोदन पर बिक्री के लिए भेजी वस्तु अथवा प्रेषण के आधार पर भेजी वस्तु को अंतिम इवेंटरी में सम्मिलित नहीं किया।
(viii) उपभोगयोग्य स्टोर्स (इंधन तथा पैकिंग सामग्री) की असामान्य इवेंटरी का मूल्य को इंवेंटरी के रूप में दिखाया नहीं गया अथवा अनुरूप व्यय से समायोजित नहीं किया।
(ix) व्यय जिसे लाभ तथा हानि खाता से वसूल किया जाना चाहिए था, को गलत ढंग से व्यापार खाता से वसूल किया।
(x) मार्गस्थ में गुम वस्तु अथवा अग्नि से नष्ट वस्तु के संबंध में प्राप्त बीमा दावा को व्यापार खाता में क्रेडिट नहीं नहीं किया।
(xi) नमूना अथवा नष्ट वस्तु को लेखांकित नहीं किया।

(½ Mark each for any one valid/correct point) (Max. 5M)

Answer 3:

(a) मुवक्किल के व्यापार का ज्ञानः

एक सम्पूर्ण अंकेक्षण योजना को विकसित करने में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वास्तव में, मुवक्किल के व्यवसाय का पर्याप्त ज्ञान के बिना, एक उपयुक्त अंकेक्षण संभव नहीं है। SA-315 "इकाई तथा इसके वातावरण की समझ के जरिये सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम की पहचान तथा समीक्षा" के अनुसार, अंकेक्षक निम्न की समझ प्राप्त करेगाः

(i) {लागू वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क सहित प्रासंगिक उद्योग, विनियमन तथा अन्य बाहरी तत्व।} **(½M)**
(ii) {इकाई की प्रकृति जिसमें सम्मिलित है}: **(½M)**

1. इसका परिचालन;
2. इसका स्वामित्व तथा संचालन संरचना;
3. निवेश का प्रकार जिसे इकाई कर रही है तथा करने की योजना बनाती है विशेष उद्देश्य इकाई में निवेश सहित; तथा
4. तरीका जिसमें इकाई संरचनाकृत तथा किस प्रकार वित्त पोषक होता है;

(¼ Mark for each point)

ताकि अंकेक्षक को सौदों की श्रेणी, खाता शेष को समझने तथा वित्तीय विवरण में अपेक्षित प्रकटीकरण को समझने में समर्थ कर सके।

(iii) {इकाई का बदलाव के लिए कारण सहित लेखांकन की नीतियों का चयन तथा लागू होना। अंकेक्षक आंकलन करेगा क्या इकाई की लेखांकन नीतियां इसके व्यापार के लिए उपयुक्त है तथा प्रासंगिक उद्योग में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां तथा लागू वित्तीय रिर्पोर्टिंग फ्रेमवर्क से संगत है।} **(1M)**

(iv) {इकाई का उद्देश्य तथा व्यूहरचना तथा वह संबंधित व्यापार जोखिम जिनका परिणाम सारवान मिथ्या विवरण का जोखिम है।} **(1M)**

(v) {इकाई की वित्तीय कुशलता का माप तथा समीक्षा।} **(1M)**

सम्पूर्ण अंकेक्षण योजना की स्थापना में मुवक्किल के व्यवसाय के ज्ञान का महत्व के अतिरिक्त, इस प्रकार का ज्ञान अंकेक्षक लेखांकन की नीतियां तथा प्रकटीकरण की उपयुक्तता के संबंध में निर्णयन करने तथा दोनों लेखांकन अनुमान तथा प्रबन्धन प्रतिवेदन की उचितता का आंकलन करने के लिए विशेष अंकेक्षण विचार की क्षेत्र की पहचान में सहायता करता है।

(b) {धोखाधड़ी तथा त्रुटि की खोज एक अंकेक्षक का कर्तव्यः SA-240 "वित्तीय विवरण का एक अंकेक्षण में धोखाधड़ी से संबंधित अंकेक्षक का उत्तरदायित्व" के अनुसार, धोखाधड़ी की रोक तथा खोज के लिए मुख्य उत्तरदायित्व इकाई का संचालन से प्रभारित व्यक्तियों तथा प्रबन्धन के पास है।} **(½M)** वृहत्तर रूप से, इस संबंध में तय किये गये सामान्य सिद्धांत निम्न हैः

(i) SAs के अनुसार एक अंकेक्षण को परिचालित करने वाला एक अंकेक्षक उचित आश्वासन को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है कि वित्तीय विवरण सम्पूर्ण में सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है चाहे धोखाधड़ी से है अथवा त्रुटि से है। जैसा SA 200 "अंकेक्षण पर मानक के अनुसार एक अंकेक्षण का परिचालन तथा स्वतंत्र अंकेक्षक का संपूर्ण उद्देश्य" में वर्णित है, एक अंकेक्षण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, अपरिहार्य जोखिम है कि वित्तीय विवरण की कुछ सारवान मिथ्या विवरण को खोजा नहीं जा सकता चाहे अंकेक्षण को सही ढंग से नियोजित किया है तथा SAs के अनुसार निष्पादित किया है। **1M**

(ii) धोखाधडी के परिणाम में सारवान मिथ्या विवरण को ना खोजने का जोखिम त्रुटि से परिणामतः ना खोजने के जोखिम से अधिक है। यह इसलिए क्योंकि धोखाधडी में इसे छुपाने के लिए डिजाइन अतिआधुनिक तथा ध्यानपूर्वक डिजाइन योजना हो सकती है जैसे जालसाजी, जानबूझकर सौदों को रिकॉर्ड करने में विफलता अथवा अंकेक्षक को जानबूझकर मिथ्या विवरण करना। **1M**

(iii) आगे, प्रबन्धकीय धोखाधडी से परिणामतः सारवान मिथ्या विवरण को ना खोजने का अंकेक्षक की जोखिम कर्मचारी धोखाधडी से अधिक है क्योंकि प्रबन्धन लेखांकन रिकॉर्ड को सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लेखांकन रिकॉर्ड हेरफेर करने की एक स्थिति में है, अन्य कर्मचारियों के द्वारा इसी प्रकार की धोखाधडी को रोकने के लिए डिजाइन नियंत्रण प्रक्रिया को कुचलना अथवा धोखाधडी वित्तीय सूचना को प्रस्तुत करने की स्थिति में है। **1M**

(iv) जब उचित आश्वासन को प्राप्त करने में, अंकेक्षक को अंकेक्षण संदेह को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है नियंत्रण कुचलने की प्रबन्धकीय संभावना पर विचार करना तथा तथ्य विचार करना कि अंकेक्षण प्रक्रिया जो त्रुटि को खोजने में प्रभावी है, धोखाधड़ी को खोजने में प्रभावी नहीं हो सकती। इस SA की आवश्यकता को धोखाधड़ी के कारण सारवान मिथ्या विवरण की पहचान तथा समीक्षा करने तथा इस प्रकार का मिथ्या विवरण की खोज करने की प्रक्रिया को डिजाइन करना है। **1M**

उपरोक्त से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धोखाधड़ी तथा त्रुटि की खोज अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है वशर्ते वह अंकेक्षण पर मानक में दी गयी आवश्यकता का अनुपालना करता है, अंकेक्षण में लगातार पेशेवर संदेह को बनाये रखता है तथा एक अंकेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में लापरवाह नहीं है। **½M**

(c) तत्व जो अंकेक्षक की निर्णयन को प्रभावित करते हैः विभिन्न तत्व जो अंकेक्षक के निर्णयन को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या पर्याप्त तथा उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य है निम्न हैं :

(i) मिथ्या विवरण की जोखिम की डिग्री जो तत्व जैसे मदों की प्रकृति, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, इकाई के द्वारा चलाये जा रहे व्यापार की प्रकृति तथा आकार, स्थिति जो प्रबन्धन पर असामान्य प्रभाव डाल सकती है तथा इकाई की वित्तीय स्थिति के द्वारा प्रभावित हो सकती है।
(ii) मदों की सारवानता।
(iii) गत अंकेक्षणों के दौरान प्राप्त अनुभव।
(iv) धोखाधड़ी तथा त्रुटि जिसे पाया जा सकता है सहित अंकेक्षण प्रक्रिया का परिणाम।
(v) उपलब्ध सूचना का प्रकार।
(vi) लेखांकन अनुपात तथा विश्लेषण द्वारा इंगित संकेत।

(1 Mark for any 5 point)

(d) किसी संबंधित पक्ष के साथ सौदों में प्रवेश के लिए विशेष प्रस्तावः किसी संबंधित पक्ष के साथ सौदों के लिए विशेष प्रस्ताव के लिए कम्पनी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है जहां पर सौदा किया हैः–

1. जैसे मापदण्ड नीचे वर्णित किये है के साथ संविदा अथवा व्यवस्था–
   (i) कम्पनी के कारोबार का 10% से अधिक अथवा Rs. 100 करोड़ रू. जो भी कम है एजेंट की नियुक्ति के जरिये अथवा किसी वस्तु अथवा सामग्री की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति;
   (ii) कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति का 10% से अधिक अथवा Rs. 100 करोड़ रू. जो भी कम है एजेंट की नियुक्ति के जरिये अथवा सीधे किसी प्रकार की सम्पत्ति का क्रय, बिक्री अथवा अन्यथा निपटारा करना;
   (iii) 100 करोड़ रू. अथवा कम्पनी की टर्नओवर का 10% अथवा कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति का 10% से अधिक जो भी कम है से अधिक किसी प्रकार की सम्पत्ति का पट्टा पर देना;
   (iv) 50 करोड़ रू. अथवा कम्पनी के कारोबार का 10% एजेंट से अधिक जो भी कम है की नियुक्ति के जरिये अथवा सीधे किसी सेवा को प्रदान करना;

   (½ Mark for each point)

   यह नोट किया जा सकता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा वित्तीय वर्ष के दौरान गत सौदों को एक साथ लेकर अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रविष्ट की जाने वाले सौदों पर लागू होगा। **1M**
2. 2.5 लाख रू. से अधिक मासिक पारिश्रमिक पर कम्पनी इसकी सहायक अथवा सहयोगी कम्पनी में लाभ का पद अथवा स्थान के लिए नियुक्ति के लिए है; **1M**
3. शुद्ध सम्पत्ति का 1% से अधिक कम्पनी का किसी प्रतिभूति अथवा डेरिवेटिव का अभियाचन में अभिगोपन के लिए पारिश्रमिक के लिए है। **1M**

Answer 4:

(a) औचित्य अंकेक्षणः औचित्य अंकेक्षण वित्तीय अकलमंदी तथा ईमानदारी के वृतांत में व्यय का पुनरीक्षण करना है। यह अनुपयुक्त, बचने योग्य अथवा अफलित व्यय को लाने की जांच करना है चाहे इस प्रकार के व्यय को विद्यमान नियम तथा विनियमन के अनुसार किया है एक सौदा नियमित अंकेक्षण की सभी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है जहां तक नियम तथा विनियमन के संबंध में विभिन्न औपचारिकता का संबंध है परन्तु फिर भी अत्यंत अपव्ययी हो सकती है। यह अनुमोदन अथवा मानक के विरूद्ध अंकेक्षण नहीं है। यह व्यय की कुशलता, प्रभावदेयता तथा अर्थव्यवस्था आयाम के संबंध में अंकेक्षण का निष्कर्ष का गुणवत्ता, राय आधारित अभिव्यक्ति है। **1M**

इस संबंध में, निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिएः

(1) व्यय दृष्टव्यय रूप से जितनी अवसर की मांग हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक धन को अधिकारियों द्वारा अत्यंत ध्यानपूर्वक अपनी मानकर व्यय करना चाहिए। **½M**
(2) व्यय के अनुमोदन के आदेश को एक प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिसका परिणाम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धन लाभ हो। **½M**
(3) सार्वजनिक धन को समुदाय की वर्ग अथवा विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब तकः

(i) लिप्त व्यय की राशि महत्वहीन है; अथवा
(ii) राशि के लिए दावा को न्यायालय में बाध्य किया जा सकता है; अथवा
(iii) व्यय मान्यता प्राप्त नीति अथवा परम्परा के तहत व्यय है; तथा
(iv) एक विशेष प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान भत्ते जैसे यात्रा भत्ता की राशि को इस प्रकार विनियमित करना चाहिए ताकि भत्ता प्राप्तकर्ता के लाभ का स्रोत नहीं है। **1M**

(4) प्राधिकरण अथवा किसी के द्वारा लाभ कमाना नहीं होना चाहिए जहां पर व्यय पूर्ति की प्रकृति में है।
(5) व्यय में अपव्यय से बचा जाता है। प्रशासन की लागत व्यय का लाभ को रवाना नहीं करना चाहिए।
(6) व्यय बिना भ्रष्टाचार के हितग्राही तक पहुंचना चाहिए।
(7) व्यय को सार्वजनिक धन को बार–बार दिन–प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उड़ाने के स्थान पर आदर्शतम स्थायी लाभ को लाना चाहिए। **(½ Mark for each point)**

(b) वर्णनात्मक रिकॉर्ड: {प्रणाली की पूर्ण तथा विवरणात्मक विवरण है जैसा अंकेक्षक द्वारा परिचालन में पाया।}**(1M)** इस प्रकार के रिकॉर्ड को विकसित करने से पूर्व वास्तविक परीक्षण तथा अवलोकन आवश्यक है।}**(1M)** {एक मामले में सिफारिश की जा सकती है जहां पर कोई औपचारिक नियंत्रण प्रणाली परिचालन में नहीं है}**(¾M)** तथा {छोटे व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त है } **(¾M)**:

(i) परिचालन में प्रणाली को समझना कठिन है।
(ii) प्रणाली में कमजोरी की पहचान।
(iii) जनशक्ति की फेरबदल के कारण उत्पन्न बदलाव को निर्गमित करना। **(½ Mark for each point)**

(c) संयुक्त अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व: SA 299 के अनुसार **(½M)** {संयुक्त अंकेक्षकों के मध्य विभाजित अंकेक्षण कार्य के संबंध में प्रत्येक संयुक्त अंकेक्षक केवल उसको आबंटित कार्य के लिए उत्तदायी है।}**(1M)** {अन्य कार्य के संबंध में जो विभक्त नहीं है, सभी संयुक्त अंकेक्षक संयुक्त तथा पृथक् रूप से उत्तरदायी है}**(1M)**:

(i) अंकेक्षण कार्य जो विभक्त नहीं है तथा सभी संयुक्त अंकेक्षकों द्वारा संयुक्त द्वारा चलाया जा रहा है।
(ii) संयुक्त अंकेक्षकों में से किसी के द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अंकेक्षण की प्रकृति, समय अथवा हद से संबधित सभी संयुक्त अंकेक्षकों द्वारा लिया गया निर्णय।
(iii) मामला जिसे उसमें से किसी एक के द्वारा संयुक्त अंकेक्षकों के नोटिस में लाया तथा जिस पर संयुक्त अंकेक्षकों के मध्य सहमति है।
(iv) प्रासंगिक विधान की प्रकटीकरण आवश्यकता के साथ अनुपालना में इकाई का वित्तीय विवरण का परीक्षण।
(v) सुनिश्चित करना कि अंकेक्षण रिपोर्ट प्रासंगिक विधान की आवश्यकता की अनुपालना करना है। **(½ Mark for each point)**

(d) लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क – वित्तीय विवरण की तैयारी तथा प्रस्तुति में प्रबन्धन तथा जहां उपयुक्त हो संचालन से प्रभारित व्यक्तियों द्वारा अपनाया वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो इकाई की प्रकृति तथा वित्तीय विवरण का उद्देश्य की प्रकृति के मत में स्वीकार्य है अथवा कानून अथवा विनियमन द्वारा आवश्यक है। **2.5 M**

लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रायः एक प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त मानक सेटिंग संस्था अथवा विधायी आवश्यकता के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक को घेरता है। कुछ मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क एक प्राधिकृति अथवा मान्यता प्राप्त मानक सेटिंग संस्था तथा विधायी अथवा विनियामक आवश्यकता के द्वारा स्थापित दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग मानक को घेरता है। **2.5 M**

Answer 5:

(a) {निम्न बिंदुओं पर अंकेक्षण को कम्पनी के स्वचालित वातावरण की समझ प्राप्त करने में विचार करना चाहिए} (½M):

- प्रयुक्त सूचना सिस्टम (एक या अधिक अनुप्रयोग सिस्टम व उनका अर्थ) **(½M)**
- उनका उद्देश्य (वित्तीय व गैर–वित्तीय) **(½M)**

- IT सिस्टम का स्थान–स्थानीय V/s वैश्विक
- आर्किटेक्चर (डेस्कटॉप आधारित, ग्राहक–सर्वर, वेब अनुप्रयोग, क्लाउड आधारित)
- संस्करण (एक ही अनुप्रयोग के विभिन्न संस्करणों में कार्य व जोखिम भिन्न हो सकते हैं)
- सिस्टम के अंतर्गत अंतराफलक (यदि विभिन्न सिस्टम हैं तो)
- घरेलू v/s संकुलित
- आउटसोर्स की गई प्रक्रियाएँ (IT रखरखाव व सहायता)
- प्रमुख व्यक्ति (CIO, CISO, प्रशासक)

(½ Mark for each point)

(b) लिप्तता के पत्र का उद्देश्य:

{अकेंक्षण लिप्तता पत्र को अकेंक्षक द्वारा अपने मुवक्किल को भेजा जाता है जो अकेंक्षण के उद्देश्य तथा स्कोप, मुवक्किल की उत्तरदायित्व की हद तथा रिपोर्ट का फोर्म का प्रपत्रीकरण करता है।}**(¾M)** {ICAI ने विषय पर SA 210, "अकेंक्षण लिप्तता की शर्तों पर सहमति'' को जारी किया है।}**(½M)** {यह दोनों अकेंक्षक तथा मुवक्किल के हित में है कि वह लिप्तता पत्र को जारी करे ताकि गलतफहमी की संभावना को काफी हद तक दूर किया जा सके।} **(¾M)**

<u>लिप्तता पत्र की महत्वपूर्ण विषयवस्तु:</u> अकेंक्षण लिप्तता की सहमत शर्त को एक अकेंक्षण लिप्तता पत्र अथवा लिखित समझौते की अन्य उपयुक्त फोर्म में रिकार्ड करेगा तथा सम्मिलित होगा:

(i) वित्तीय विवरण का अकेंक्षण का उद्देश्य तथा स्कोप;
(ii) अकेंक्षक का उत्तरदायित्व;
(iii) प्रबंधन का उत्तरदायित्व;
(iv) वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए लागू वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क की पहचान; तथा

(½ Mark for each point)

(v) {अकेंक्षक द्वारा जारी की जाने वाली किसी रिपोर्ट का अपेक्षित स्वरूप तथा विषयवस्तु का संदर्भ}**(½M)** तथा {वक्तव्य की परिस्थिति हो सकती है जिसमें रिपोर्ट इसके उपेक्षित स्वरूप तथा विषय वस्तु से भिन्न हो सकती है।}**(½M)**

(c) मामला का जोर पैराग्राफ: {कभी कभी अकेंक्षक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अथवा प्रकट मामला पर उपयोगकर्ता का ध्यान दिलवाना आवश्यक समझता है} **(1M)** {जो अकेंक्षक के निर्णयन में इतने महत्व का है कि यह वित्तीय विवरण को उपयोगकर्ता की समझ के आधारभूत है, अकेंक्षक अकेंक्षक रिपोर्ट में मामला का जोर पैराग्राफ सम्मिलित करेगा।} **(1M)**

उदाहरण – कब इसका उपयोग किया जाता है:

(i) एक अपवाद स्वरूप मुकद्मेबाजी अथवा विनियमन कार्यवाही की भवि य परिणाम से संबंधित एक अनिश्चितता
(ii) एक नये लेखांकन मानक की पहले का एप्लीकेशन (जहाँ अनुमति है) जिसका इसकी प्रभावी तिथि का अग्रिम में वित्तीय विवरण पर व्यापक प्रभाव है।
(iii) एक प्रमुख आपदा जिसका इकाइ की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव है अथवा प्रभाव के रहने की संभावना है।

(¼ Mark for each point)

अकेंक्षण रिपोर्ट में इसके उपयोग का तरीका: <u>SA 706 "स्वतंत्र अकेंक्षक रिपोर्ट में मामला का जोर पैराग्राफ तथा अन्य मामला पैरा" के अनुसार अकेंक्षक की रिपोर्ट में मामला का जोर पैरा का सम्मिलित करना अकेंक्षक की राय को प्रभावित नहीं करता।</u>**(¼M)** जब अकेंक्षक अकेंक्षक रिपोर्ट में मामला का जोर पैराग्राफ को सम्मिलित करता है अकेंक्षक:

(i) अकेंक्षक रिपोर्ट में राय पैराग्राफ के पश्चात् तुरंत सम्मिलित करेगा;
(ii) शीर्ष "मामला का जोर" अथवा अन्य उपयुक्त शीर्ष का उपयोग करेगा;
(iii) पैराग्राफ में जोर दिये जाने वाले मामला का स्पष्ट संदर्भ को सम्मिलित करेगा, जहां पर प्रासंगिक प्रकटीकरण जो मामले को पूर्ण रूप से वर्णित करता है, को वित्तीय विवरण में पाया जा सकता है; तथा
(iv) संकेत देगा कि अकेंक्षक की राय जोर दिये जाने वाले मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

(½ Mark for each point)

(d) अकेंक्षक रोटेशन प्रावधान के अन्तर्गत कवर नहीं एक कम्पनी के लिए वार्षिक सामान्य सभा में निवृत अकेंक्षक की पुर्न नियुक्ति के संबंध में प्रावधानः एक निवृत अकेंक्षक को एक वार्षिक सामान्य सभा में नियुक्त किया जा सकता है, यदि

(i) {वह पुर्न नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है}**(1M)**;

(ii) {उसने पुर्न नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा की लिखित में कम्पनी को नोटिस नहीं दिया है}**(1M)**; तथा

(iii) {उस सभा में किसी अन्य अकेंक्षक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को पारित नहीं किया}**(1M)** अथवा {व्यक्त रूप से प्रदान किया है कि उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा।**(1M)**}

{जहाँ पर किसी वार्षिक सामान्य सभा में किसी अकेंक्षक को नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त नहीं किया, विद्यमान अकेंक्षक कम्पनी का अकेंक्षक बना रहेगा।}**(1M)**

Answer 6:

(a) सुरक्षा की प्रकृति (Nature of Security) :–

(i) प्राथमिक सुरक्षा, बैंक वित्त के लिए उधारकर्ता द्वारा या उस बैंक के लिए ऋण के विस्तार के लिए सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा को दर्शाता है। यह सुरक्षा अग्रिम के लिए मुख्य सुरक्षा है। **1M**

(ii) संपार्श्विक सुरक्षा एक अतिरिक्त सुरक्षा है। सुरक्षा किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति, चल या अचल सम्पत्ति। **1M**

बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्रतिभूतियों के उदाहरण निम्न हैं :

गारंटीकर्ता की व्यक्तिगत सुरक्षा

- सामान्य / स्टॉक्स / डेबिटर्स / ट्रेड रिसीबैबल्स
- सोने के गहने और बुलियन
- अचल सम्पत्ति
- बागान (कृषि अग्रिम के लिए)
- तृतीय पक्ष की गारंटी
- बैंकर का जनरल लीन
- जीवन बीमा नीतियाँ
- स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स

(½ Mark for each valid example) (Max. 3 Marks)

(b) कम्पनी के IT सिस्टम व स्वचालित वातावरण की समझ प्राप्त करने के बाद अंकेक्षक को IT सिस्टम से उपर्जित जोखिम की समझ प्राप्त करनी होती है।

निम्न कुछ जोखिमों पर ध्यान दिया जाता है :

- डाटा की गलत प्रोसेसिंग, गलत डाटा की प्रोसेसिंग या दोनों। **(1M)**
- डाटा का अनाधिकृत उपयोग **(½M)**
- डाटा में सीधा बदलाव (बैक एड बदलाव) **(½M)**
- अत्यधिक अभिगम / विशेषाधिकार अभिगम (सुपर उपयोगकर्ता) **(1M)**
- कर्तव्यों के उचित बँटवारे का अभाव **(½M)**
- सिस्टम व प्रोग्राम में अनाधिकृत बदलाव **(½M)**
- सिस्टम व प्रोग्राम में उचित बदलाव लाने में विफलता **(½M)**
- डाटा का नुकसान **(½M)**

(c) रेंडम सेम्पलिंग: रेंडम चयन सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक परत के अंदर अथवा जनसांख्यिकी में सभी मदों का चयन का ज्ञात अवसर है। इसमें रेंडम संख्या सारणी का उपयोग लिप्त है। रेंडम सेम्पलिंग में दो उचित लोकप्रिय तरीके सम्मिलित हैं जिनकी चर्चा नीचे की है–

(i) सरल रेंडम सेम्पलिंग: इस तरीके के अन्तर्गत समस्त जनसांख्यिकी में प्रत्येक युनिट उदाहरणतः क्रय अथवा बिक्री इवांयस का चयन होने का बराबर का अवसर है। मदों का चयन का यंत्रीकरण कम्पयूटर्स द्वारा रेंडम संख्या की सारणी से संख्या का चुनना अथवा एक ड्रम से रेंडमली संख्या को चुनना हो सकता है। यह माना जाता है कि रेंडम संख्या सारणी सरल है तथा उपयोग में सरल है तथा साथ में **2.5 M**

आश्वासन प्रदान करता है कि पक्षपात चयन को प्रभावित नहीं करता। इस तरीके को उचित माना जाता है बशर्ते सेम्पल किये जाने वाली जनसंख्या उचित रूप से एक प्रकार की युनिट से मिलकर बनी है तथा उचित रेंज के अंदर आती है।

उदाहरण के लिए, जनसंख्या को सजातीय माना जा सकता है यदि कहें, प्राप्य व्यापार Rs. 5,000 से Rs. 25,000 की रेंज के अंदर आता है ना कि Rs. 25 से Rs. 2,50,000 की रेंज के अंदर।

(ii) स्तरीकृत सेम्पलिंग: इस तरीके में समस्त जनसंख्या को कुछ पृथक समूह जिसे स्तरीकृत कहा जाता है, में टेस्ट किया जाता है तथा उनमें से प्रत्येक में सेम्पल लिया जाता है। प्रत्येक स्तर को माना जाता है जैसे यह पृथक जनसंख्या है तथा यदि मदों के अनुपात को इन स्तर में प्रत्येक में चयनित किया जाता है। समूह की संख्या जिसमें समस्त जनसंख्या को विभाजित किया है, का निर्धारण अकेंक्षक निर्णयन के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए उपरोक्त मामले में, व्यापार प्राप्य शेष को चार समूह जो निम्न हैं, में विभक्त किया जा सकता है- **2.5 M**

1. Rs. 1,00,000 के आधिक्य में शेष;
2. Rs. 75,000 से Rs. 1,00,000 के रेंज में शेष;
3. Rs. 25,000 से Rs. 75,000 की रेंज में शेष; तथा
4. Rs. 25,000 से कम शेष

(d) अकेंक्षकों को रोटेशन से संबंधित प्रावधान का लागू होना: अकेंक्षक का रोटेशन से संबंधित प्रावधान जैसा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(2) **(¼M)** में प्रदान किया है सभी सूचीबद्व कम्पनियाँ **(1M)** तथा कम्पनियों की अन्य श्रेणी अथवा श्रेणियों पर लागू है **(¼M)** जैसा कम्पनी (अकेंक्षण तथा अकेंक्षक) नियम, 2014 के अन्तर्गत निर्धारित है।

धारा 139(2) के लागू होने के लिए कम्पनी (अकेंक्षण तथा अकेंक्षक) नियम, 2014 में निर्धारित नियम के अनुसार, कम्पनियों की श्रेणी का अर्थ एक व्यक्ति कम्पनियां तथा छोटी कम्पनियों को छोड़कर कम्पनियों **(½M)** की सभी श्रेणी से है -

(i) Rs. 10 करोड़ अथवा अधिक की चुकता अंश पूँजी वाली सभी अनुसूचीबद्व सार्वजनिक कम्पनियाँ;
(ii) Rs. 50 करोड़ अथवा अधिक चुकता अंश पूँजी वाली सभी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां;
(iii) उपरोक्त वर्णित न्यूनतम सीमा से कम चुकता अंश पूँजी वाली कम्पनियां परन्तु जिनकी वित्तीय संस्थान, बैंक से सार्वजनिक ऋण है अथवा Rs. 50 करोड़ अथवा अधिक का सार्वजनिक जमा है।

(1 Mark for each point) (Max. 3 Marks)

MITTAL COMMERCE CLASSES
Door to Success

***